भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-**82**

सोमवार, 3 फरवरी, 2020/14 माघ, 1941 (शक)

लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

82. श्री राजा अमरेश्वर नाईकः
डॉ॰ जयंत कुमार रायः
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः
श्री भोला सिंहः
डॉ॰ सुकान्त मजूमदारः
श्री विनोद कुमार सोनकरः

क्या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री यहबताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिकप्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) की स्थापना की है**;**

(ख) यदि हां**,** तो तत्संबंधी राज्य/संघराज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है**;**

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापितआईटीआई का ब्यौरा क्या है और इस संबंध मेंकितनी राशि खर्च की गई है**;**

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्रीकौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत नामांकित और प्रशिक्षित छात्रों की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है**;**

(ङ) क्या भारत में अन्य देशों की तुलना मेंकुशल कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है और यदि हां**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्याकारण हैं**;** और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तकक्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं**?**

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआइज) की स्थापना और उनका संचालन संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है, जबकि पाठ्यचर्या के मानदंड और उसकी डिजाइनिंग तथा परीक्षा संचालित करने एवं प्रमाणन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है।

(घ) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 2016-20 कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के कौशल भारत मिशन के तहत एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य रु. 12,000 करोड़ के परिव्यय के साथ अल्पावधिक प्रशिक्षण (एसटीटी) के तहत एक करोड़ लोगों को कौशल प्रदान करना तथा

चार वर्षों, यानी 2016-2020 के लिए देशभर में पूर्व-शिक्षितों को मान्यता (आरपीएल) प्रदान करना है। पिछले तीन वर्षों में पंजीकृत एवं प्रशिक्षित राज्य-वार कुल अभ्यर्थियों का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ङ और च) जी हां, अन्य देशों, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण अफ्रीका की तुलना में हमारे देश में कुशल कार्यबल का प्रतिशत कम है। इसका मुख्य कारण औपचारिक कौशल प्रशिक्षण के साथ उपलब्ध बहुत कम कार्यबल और मुख्य रूप से अनौपचारिक चैनलों के माध्यम से कुशल या अकुशल कार्यबल की उपलब्धता है।

निम्नलिखित उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं:

- **राष्ट्रीय कौशल अर्हता फेमवर्क (एनएसक्यूएफ)** के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार पाठ्यक्रमों का एकीकरण।
- वर्तमान कौशलों की मैपिंग, कौशल अंतराल को समझना, **पुनः कौशलीकरण और कौशल उन्नयन** द्वारा आवश्यक उपचारात्मक कदम उठाना।
- विभिन्न योजनाओं के तहत **उद्योग संबद्ध नियोजनीयता कौशलों** में प्रशिक्षण प्रदान करना।
- परिवर्ती प्रौद्योगिकी और वैश्विक मांग के अनुरूप नई पीढ़ी के पाठ्यक्रमों, जैसे कि **इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन पाइलट, भूविज्ञान सूचना सहायक** की कवरेज।

अनुबंध-I

लोक सभा के दिनांक 03.02.2020 के अतारांकित प्रश्न सं. 82 के पैरा (घ) के उत्तर के संबध में अनुबंध

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पंजीकृत	प्रशिक्षित
अंडमान और निकोबार द्वीप	1471	1118
आंध्र प्रदेश	198111	190396
अरुणाचल प्रदेश	17771	15384
असम	204924	200222
बिहार	319599	311219
चंडीगढ़	17318	15076
छत्तीसगढ़	99317	97040
दादरा और नगर हवेली	3000	3000
दमन और दीव	4764	4402
दिल्ली	288075	280951
गोवा	7073	6380
गुजरात	247841	237137
हरियाणा	439582	432529
हिमाचल प्रदेश	88620	80201
जम्मू और कश्मीर	157813	154213
झारखंड	130418	121845
कर्नाटक	320676	312690
केरल	172632	167930
लक्षद्वीप	90	0
मध्य प्रदेश	504116	492585
महाराष्ट्र	751848	684444
मणिपुर	38869	34221
मेघालय	22192	21051
मिजोरम	13979	13490
नागालैंड	12131	10019
ओडिशा	317371	312485
पुडुचेरी	16943	15924
पंजाब	257196	240172
राजस्थान	646739	642081
सिक्किम	7690	7152
तमिलनाडु	420347	412402
तेलंगाना	232571	227723
त्रिपुरा	41026	39709
उत्तर प्रदेश	1083536	1059130
उत्तराखंड	135978	119039
पश्चिम बंगाल	303606	293105
कुल	**7,525,233**	**7256465**

दिसम्बर, 2019 तक की स्थिति।